

परमकारों एवं  
ऑडिटर के हस्त

70

177

न्यायालय श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वाल्थर सिक्रेट कोर्ट रीवा म० प्र०  
R. 5084-115



435  
1.7.15

Rs 201-

१।१ राजेश यादव दोनो के पिता राम प्रकाश यादव निवासी ग्राम गडडी  
१।२ रमेश यादव तहसील गुड जिला रीवा म० प्र० -- निगरानी कर्ता का  
बनाम

1. अन्जु दुवे पत्नी विकास दुवे निवासी ग्राम बदराव पीलोही तहसील हुजूर  
जिला रीवा म० प्र०

१।२ मध्य प्रदेश राज्य --- गैर निगरानी कर्ता का

श्री. श्रीमान् चतुर्वेदी एड  
द्वारा आज दिनांक 1.7.15 के  
प्रस्तुत किया गया।  
सिद्धर  
सिक्रेट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आजा श्री राजस्व निरीक्षक  
मण्डल गुड बावत राजस्व प्रकल्प क्रमांक 45/2/  
2014-15 आदेश दिनांक 27/2/2015 बावत  
भूमि क्रमांक 663/1 स्थित ग्राम गडडी नं० 148  
तहसील हुजूर वर्तमान गुड जिला रीवा म० प्र०

अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959  
ई०

पुनर्विचार  
युक्त  
14/6/16

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

१।१ यह कि अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारी का सीमांकन की कार्यवाही  
विधि के विपरीत है। जो काबिल निरस्तगी के है।

राजेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक नं.5084-II/2015

जिला-रीवा

राजेश यादव/श्रीमती अन्जू देवी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अभिताब चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मंडल गुड, तहसील गुड के प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/2014-15 पारित आदेश दिनांक 27.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रप्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के परिस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

  
(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य

